



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022024-251766
CG-DL-E-03022024-251766

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945

No. 404]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2024

का.आ. 432(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उपायुक्त हैलाकांडी के अधीन एनएच-06 के किमी. 28.95 से किमी. 29.97 असम राज्य तक के " मौजूदा एलसी संख्या केबी-05 और केबी-07 के स्थान पर आरओबी का निर्माण " हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - NH-06 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उप आयुक्त	राष्ट्रीय राजमार्ग	असम	हैलाकांडी	लाला	1 निस्चिंतापुर पार्ट-२

		संख्या NH6 के कि.मी 28.95 से कि.मी 29.97 तक				2	पश्चिमकीटरबोंड पार्ट -I
						3	पश्चिमकीटरबोंड पार्ट -II
						4	मोनचेर्रा ग्रंट

[फा. सं. NH-12012/26/2024/AS/Zone-V]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2024

S.O. 432(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of ROB in replacement of Existing LC No. KB-05 and KB-07 of km. 28.95 to 29.97 of NH-06 under The Deputy Commissioner Hailakandi in the State of ASSAM.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-06 in the State of ASSAM.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Deputy Commissioner	NH6 KM 28.95 TO KM 29.97	ASSAM	HAILAKANDI	Lala	1 Nischintapur Part-2 2 Paschimkitterbond Part-I 3 Paschimkitterbond Part-II 4 Monacherra grant

[F. No. NH-12012/26/2024/AS/Zone-V]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.